छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की गोली मारकर हत्या

परिवार वालों ने युवती के शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा

मेरठ, 22 जनवरी (जनसत्ता)।

देहात क्षेत्र के मेरठ में एक युवती मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जा रही थी। रास्ते में एक युवक युवती से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी युवक ने सरेआम युवती की गोली मारकर हत्या कर दी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक युवती के परिजन मौके पर पहुंचे। घटना के विरोध में परिवार वालों ने युवती के शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मृतका के परिजन आरोपी की गिरफ्तारी ना होने तक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को तैयार नहीं हैं। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने में लगी है।

पुलिस के मुताबिक सोमवार को एक लड़की मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए घर से निकली थी। तभी कुछ ही दूरी पर रहने वाला एक युवक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़के ने अपनी जेब से तमंचा निकालकर लड़की को गोली मार दी। जिसके चलते लड़की की मौके पर ही मौत हो गई।

> घटना को लेकर लोगों में इस कदर नाराजगी थी कि उन्होंने पुलिस के लाख समझाने पर भी मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए देने से इनकार कर दिया।

जानकारी मिलने पर लड़की के परिजन व आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए। भारी भीड़ को देखते हुए वहां कई थानों की पुलिस फोर्स को लगा दिया गया। घटना को लेकर लोगों में इस कदर नाराजगी थी कि उन्होंने पुलिस के लाख समझाने पर भी मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए देने से इनकार कर दिया।

लोगों की मांग थी कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती तब तक शव को नहीं उठने दिया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर फलावदा महलका मार्ग पर जाम लगा हुआ है। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि युवती की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम दबिश को भेज दी गई है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युवती के परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मृतका के परिजन की तहरीर पर थाना फलावदा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अदभुत

वाराणसी में सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर मांझी समुदाय ने एक नाव जुलूस का आयोजन किया।

राहुल की न्याय यात्रा पर बोलीं स्मृति ईरानी

चुनाव आ रहा है तो लोग आएंगे और जाएंगे

अमेठी, 22 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर निकले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सोमवार को हमला करते हुए उनकी तुलना 'बरसाती मेंढक' से कर दी।

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के दौरे पर आई स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन पर तंज करते हुए कहा, 'जब बरसात आती है तो छोटे-छोटे मेंढक निकल आते हैं। उसी तरह अब चुनाव आ रहा है तो लोग आएंगे और जाएगे।' उन्होंने कहा कि बरसात जाते ही यह मेंढक गायब हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है तो यह लोग आए हैं और उसके बाद चले जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। उनकी यह यात्रा उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगी और महाराष्ट्र में संपन्न होगी। स्मृति ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा, 'आज राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन है।

धोखाधड़ी करके बने करोड़पति, 91 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मथुरा, 22 जनवरी (जनसत्ता)।

जमीनों की खरीद फरोख्त और धोखाधड़ी से कुछ ही दिनों में करोड़पति बने गिरोहबाज की 91 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाई की है। नूंह के गैंगस्टर माफिया की 91 करोड़ की प्रापर्टी कुर्क करने की मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई से माफिया के हलक सूख गए हैं।

माफिया द्वारा कुल 46 संपत्तियों खरीदी गई। इसकी बाजार में कीमत 75 करोड़, 79 लाख, 37 हजार 750 रुपए आंकी गई। अन्य संपति को मिलाकर कुल 91 करोड़, 37 लाख, 89 हजार, 34 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। पिछले साल इसी गैंग ने वृंदावन में कुंभ क्षेत्र में फर्जी नक्शा बनाकर जमीन की बिक्री की थी। कुर्क गई सपंत्ति में दुकान, गाड़ियां और प्लाट भी शामिल है। शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हरियाणा के नूंह जिले के गांव पल्ला के रहने वाले इमरान खान की संपत्ति सीज करने के आदेश जारी किए थे। इसके साथ ही इमरान के सभी बैंक खातों को सीज करने के आदेश भी कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। इमरान और उसकी पत्नी के नाम पर हरियाणा में भी जमीन है। जैंत थाना इंस्पेक्टर अजय वर्मा गैंगस्टर के मुकदमें की विवेचना कर रहे हैं।

उन्होंने इमरान द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को सीज के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी थी। इमरान खान पर जैंत व वृंदावन इलाके में फर्जी जमीन दिखाकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने इमरान व उसकी पत्नी श्याहरूनी खान पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी। वृंदावन थाने में इमरान के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट में शातिर अभियुक्त इमरान खान, मोहम्मद समी आलम और एक महिला आरोपित हैं। आरोपित इमरान खान और महिला अपराधी ने 20 जनवरी को एक मुकदमें में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। मोहम्मद समी आलम को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपितों के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छह से अधिक मुकदमें दर्ज हैं।

> **वृंदावन की घटना के बाद चढ़ा पुलिस की नजरों में**
>
> गिरोहबाज अधिनियम की कार्रवाई की जद में आया शातिर पिछले साल वृंदावन कुंभ क्षेत्र में की गई घटना के बाद पुलिस की नजरों में चढ़ा था। गिरोहबाज ने अपनी पत्नी के साथ वृंदावन कुंभ क्षेत्र में फर्जी नक्शे के आधार पर लोगों को प्लाट का आवंटन किया था। एसएसपी मथुरा शैलेश पांडेय ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार किया गया और छानबीन की गई तो शातिर का आपराधिक रिकार्ड खंगालने पर पता चला कि अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं।

पटाखे की दुकान में विस्फोट में दो बच्चों की मौत

मुजफ्फरनगर, 22 जनवरी (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार को एक पटाखे की दुकान में हुए विस्फोट में दो बच्चों की मौत हो गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के केलावड़ा गांव में एक मकान की ऊपरी मंजिल पर पटाखे की एक दुकान में अचानक विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था की दुकान की छत उड़ गई। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में 12 वर्षीय हिमांशु और 14 साल के पारस की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बच्चों के शव मलबे से निकाल लिए गए। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल बिट्टू नाम के एक अन्य बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना उस वक्त हुई जब तीनों घर की ऊपरी मंजिल पर स्थित पटाखों की दुकान में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घर के मालिक शादाब को हिरासत में ले लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

बहन की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

उरई, 22 जनवरी (जनसत्ता)।

बहन की हत्या व उसके प्रेमी को जान से मारने की कोशिश के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

घटना 23 सितंबर वर्ष 2017 की है। कुठौंद क्षेत्र के एक गांव में युवती से उसका प्रेमी ज्ञान सिंह रात में मिलने के लिए गया था। आधी रात के बाद युवती के भाई कोमल दोहरे ने ज्ञान सिंह के साथ बहन के साथ देख लिया जिसके बाद उसने बहन के ऊपर चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। बहन के प्रेमी ज्ञान सिंह को भी उसने चाकू मारा लेकिन वह बच गया था। बाद में ज्ञान सिंह की तहरीर पर कुठौंद पुलिस ने कोमल के विरुद्ध हत्या व हत्या की कोशिश की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित कोमल दोहरे को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर ली गई। साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोमल दोहरे के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आठ साल चली सुनवाई के बाद सोमवार को पाक्सो कोर्ट में इस मामले का फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने बहन की हत्या व उसके प्रेमी की हत्या की कोशिश में कोमल दोहरे को दोषी करार दिया है।

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

संपर्क पता : बिल्डिंग नं. 27, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
पंजी. कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057 दूरभाष : 011–49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ईमेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन नं: यू65192डीएल2016पीएलसी30148

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न अंकितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।
उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप से सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्न अंकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज और दाण्डिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना के अनुसार राशि	अधिग्रहण की तिथि (रचनात्मक/भौतिक)
HHFKNPHOU 22000020275	राकेश कुमार गुप्ता, अर्पित ओमर, अंकित, मीना ओमर	16–10–2023, रु. 26,29,241/– दिनांक 16–10–2023 के अनुसार	19–01–2024 (सांकेतिक)
प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : फ्लैट नं. 302–बी, तृतीय तल पर, क्षेत्राधिमापन 67.66 वर्ग मीटर, जिसमें दो कक्ष, एक हॉल, एक रसोई, दो शौचालय एवं दो बालकनियां समाविष्ट हैं, जो परिसर सं. 86/226 पर निर्मित, देव नगर, कानपुर नगर में, अविभाजित भूमि अंश 18.08 वर्ग मीटर, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– लिफ्ट, सामान्य उपमार्ग तथा सीढ़िया, पश्चिम– 6.10 मीटर चौड़ा शासकीय मार्ग, उत्तर– फ्लैट नं. 301–ए, दक्षिण– गृह सं. 86/238 (शासकीय प्राथमि विद्यालय)			
HHFKNPHOU 22000020263	मीना ओमर, अर्पित ओमर, अंकित, राकेश कुमार गुप्ता	16–10–2023, रु. 26,96,174/– दिनांक 16–10–2023 के अनुसार	19–01–2024 (सांकेतिक)
प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण : फ्लैट नं. 301–ए, तृतीय तल पर, क्षेत्राधिमापन 69.24 वर्ग मीटर, जिसमें दो कक्ष, एक हॉल, एक रसोई, दो शौचालय एवं दो बालकनियां समाविष्ट हैं, जो परिसर सं. 86/226 पर निर्मित, देव नगर, कानपुर नगर में, अविभाजित भूमि अंश 18.29 वर्ग मीटर के साथ, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– सामान्य उपमार्ग, सीढ़ियां तथा फ्लैट नं. 304–डी, पश्चिम– 6.10 मीटर चौड़ा मार्ग, उत्तर– 9 मीटर चौड़ा शासकीय मार्ग, दक्षिण– फ्लैट नं. 302–बी।			

दिनांक : 23–01–2024
स्थान : कानपुर

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CITY ACADEMY DEGREE COLLEGE

Tiwariganj, Chinhat, Lucknow

Vacancy for B.Ed.

Assistant Professor 10 Post

Qualification, Experience & Percentage as per New NCTE Norms 214, State govt. Norms & Lucknow University, Applicant must apply within 15 days to Manager in hand written application.

(इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षनिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के फोटो के साथ महाविद्यालय के हेड आफिस तिवारीगंज, चिनहट, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से या ई-मेल (cgclko01@gmail.com) से 15 दिन के अन्दर भेज सकते है।) साक्षात्कार की सूचना पात्र अभ्यर्थियों को मोबाइल के माध्यम से दी जायेगी।

Manager

ग्राइंडर मशीन से टकराकर मां-बेटे की मौत

वाराणसी, 22 जनवरी (जनसत्ता)।

शिवपुर थानाक्षेत्र के दांदूपुर रिंगरोड के पास सोमवार को कोयला पीसने वाली मशीन से टकरा कर बाइक सवार मां और बेटे की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया जबकि घायल महिला को इलाज के लिए भेजा गय। चौबेपुर थाना क्षेत के फूलपुर निवासी आनंद उर्फ करिया अपनी मां लल्लीदेवी और भाभी राधिका को बाइक से लेकर गणेशपुर आया था। सुबह तीनों अपने रिश्तेदार लालजी के घर पोते के निधन पर सांत्वना देने आए थे। दोपहर तीन बजे गणेशपुर से निकले बाइक चालक आनंद ने रिंगरोड़ दांदूपुर में पेट्रोल पंप के सामने अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े कोयला पीसने वाली ग्राइंडर मशीन से जाकर टकरा गई। आनंद का सिर लोहे से टकरा गया और वह वहीं गिर गया जबकि मां और भाभी दूर जाकर गिरी।

वहां पहुंचे आसपास के लोगों ने शिवपुर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने तीनों को अस्पताल भिजवाया यहां आनंद और लालमनी को पुलिस ने मृत घोषित कर दिया।

रेल कर्मी ने की आत्महत्या

हापुड़, 22 जनवरी (जनसत्ता)।

रेलवे में तैनात 25 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। गांव भटियाना निवासी किसान गिरधर तोमर के पुत्र विक्रांत की मौत की सूचना पर क्षेत्र में शोक व्याप्त है। मृतक अपने पिता का इकलौता पुत्र था। जबकि उसकी बहन रीतू भी यूपी पुलिस लखनऊ में तैनात है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी विक्रांत की लगभग तीन वर्ष पूर्व भारतीय रेल में नौकरी लगी थी। वो मुरादाबाद शहर के शिव बिहार कालोनी में किराए के मकान में रहता है। मकान में रेलवे के चार अन्य साथी भी किराए पर रहते हैं। रविवार को विक्रांत का शव अंदर रस्सी के फंदे पर कमरे में लटका मिला। सूचना पर पुलिस ने आकर शव को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू की। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतक के स्वजनों ने शव को लाकर पैतृक गांव में अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया।

ग्रामीणों ने बताया कि रेल क्रर्मी विक्रांत की 31 जनवरी को शादी होनी थी। परिजन शादी की तैयारियों में लगे थे। मृतक की मां इकलौते पुत्र की मौत पर बेसुध है। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि विक्रांत का विभागीय तबादला हापुड़ हो गया था। लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया था। रविवार दोपहर गरीब रथ ट्रेन से कमरे पर आकर घटना को अंजाम दिया है।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM

(पूर्व का पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रम सं. 79/1, घोरपड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'कथित अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) के तहत उपरोक्त कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय के गृहम हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व का पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित अनुसार राशि अदा करने के लिये नीचे कर्जदारों को आमंत्रित करते हुए निम्न तिथि को मांग सूचना जारी की थी।
कर्जदारों द्वारा राशि की अदायगी में असफल होने पर, कर्जदारों तथा जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 जनवरी, 2024 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।
कर्जदारों को विशेष तौर पर और जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन राशि तथा उस पर ब्याज के लिए गृहम हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व का पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतित परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए समय उपलब्ध है।
कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र सं	कर्जदारों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि	विधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि (रु.)
1.	अभिषेक केशरी, विजय लक्ष्मी	मकान नंबर 1068 मालवीय नगर परगना और तहसील सदर पिन कोड-211003 का समस्त भाग, माप 39.5.वर्ग मीटर। सीमाएं:- पूर्वः-खुला स्थान, पश्चिमः-सामान्य मार्ग, उत्तरः-खुला स्थान, दक्षिणः-खुला स्थान।	20/01/2024	06/11/2023	ऋण संख्या HF/0044/H/19/100037 रु.12,37,798.29/- (रुपये बारह लाख सैंतीस हजार सात सौ अट्ठानबे और उनतीस पैसे मात्र) 06/11/2023 तक देय और वसूली तक 13% प्रति वर्ष की दर से ब्याज
2.	मोहम्मद हसीन खान, फरजाना	प्लॉट आराजी नंबर 201 मिन का समस्त भाग, ग्राम-करेलाबाग, तहसील-सदर, प्रयागराज मापः-676.5.वर्ग फीट, मरहबा पैलेस पिन कोड-211016 पर स्थित, सीमाबद्धः- पूर्वः-मनीष गुप्ता का प्लॉट, पश्चिमः-खुला प्लॉट, उत्तरः-15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः-अन्य प्लॉट।	20/01/2024	06/11/2023	ऋण संख्या HF/0044/H/21/100109 रु. 13,75,457.12/- (रुपये तेरह लाख पचहत्तर हजार चार सौ सत्तावन और बारह पैसे मात्र) 06/11/2023 तक देय और वसूली तक 15.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज
3.	मोहम्मद कामरान, तबस्सुम, नसीम, मोहम्मद आरिफ	खसरा नंबर 38/2 वाके मौजा टीटामई चंचा उत्तरी तहसील जिला फिरोजाबाद मापः-816.वर्ग फीट गुलरिया सरकारी स्कूल पिन कोड-283203 पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग, मापः- पूर्वः-अन्य का प्लॉट, पश्चिमः-12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः-अन्य का खाली प्लॉट, दक्षिणः-समशाद का घर।	20/01/2024	06/11/2023	ऋण संख्या HF/0094/H/21/100474 रु. 15,49,073.49/- (रुपये पंद्रह लाख उनचास हजार तिहत्तर और उनचास पैसे मात्र) 06/11/2023 तक देय तथा वसूली तक 11.05% प्रति वर्ष की दर से ब्याज
4.	विन्धेश कुमार, विमला देवी, सूरज प्रसाद, माता प्रसाद	संपत्ति गाटा संख्या 730 का समस्त भाग, फुरसतगंज रोखा तिलोई रायबरेली मापः-87.12.वर्ग मीटर पिन कोड-229302 पर स्थित, मापः- पूर्वः-कुशल, पश्चिमः-संतोष, उत्तरः-राजस्थान, दक्षिणः-40 फीट रोड।	20/01/2024	06/11/2023	ऋण संख्या HF/0050/H/21/100046 रु. 13,07,865.69/- (रुपये तेरह लाख सात हजार आठ हजार आठ सौ पैंसठ और उनहत्तर पैसे मात्र) 06/11/2023 को देय तथा वसूली तक 17.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज

स्थान : लखनऊ
तिथि : 23.01.2024

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

सीआईन : U67100TZ2014PTC020363
निगमित कार्यालय : कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028
ईमेल : kalpesh.ojha@omkaraarc.com, मोबाइल : 91 9769825323

खपरिशिष्ट – IV–ए, खनियम 8 (1), 8(6) एवं 6 (2) का प्रावधान देखें,
चल एवं अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (1), नियम 8 (6) एवं 6 (2) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात् ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमीकृत कंपनी है तथा जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) ("सरफॉएसि अधिनियम 2002") की धारा 3 के अंतर्गत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है और जिसका सीआईएन नं: U67100TZ2014PTC020363 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्स, तिरुपुर 641607 में एवं निगमित कार्यालय कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028 में है, जो ओमकारा पीएस–26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् है, के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न वर्णित चल एवं अचल संपत्तियों (प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)) का भौतिक अधिग्रहण कर लिया गया है। इसने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में विदित) की ओर से रेखांकितकारी प्रतिभूतियों के साथ उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) की संपूर्ण बकाया राशियों के ब्याज एवं समस्त अधिकारों, स्वामित्वों का, एसाइंमेंट अनुबंध दिनांकित 30–09–2021 के द्वारा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 23–06–2022 को कर लिया गया है तथा उक्त परिसंपत्ति(यों) को निम्नांकित तिथि पर "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा, जो कि निम्न उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय निम्नांकित बकाया राशियों की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) और अन्य विवरण निम्नानुसार उल्लिखित हैं :

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया देयराशियां रु. में	मांग सूचना की तिथि / अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धराज (रु.)	निरीक्षण तिथि एवं समय
1. प्रेमेंद्र गुप्ता (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 2. रीमा गुप्ता (सह–उधारकर्ता)	अरजी नं. 95 का भाग, मौजा सिगरौसी, उन्नाव, कानपुर–209801, अधिमापन 1800 वर्ग फुट	रु. 14,14,818/– (रुपये चौदह लाख चौदह हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) 31–07–2021 के अनुसार प्लस आज की तिथि तक राशि पर संविदागत ब्याज एवं अन्य शुल्क	30–03–2022 / 23–06–2022	8,75,000/– / 87,500/–	02–02–2024 2.00 से 4.00 बजे

धराज के भुगतान तथा बोली प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 09–02–2024 को सायं 06.00 बजे तक

नीलामी तिथि एवं समय : 12–02–2024, समय : 03.00 बजे 05.00 बजे | वृद्धिशील मूल्य : रु. 20,000

नीलामी के नियम एवं शर्तें :
1. इच्छुक बोलीदातागण जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड", दूरभाष हेल्पलाइन : +91–7291981124 / 25 / 26, हेल्पलाइन ई–मेल आईडी : support@bankeauctions.com या श्री भाविक पंड्या, मोबाइल : 88666 82937, ईमेल : maharashtra@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं।
2. संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न अथवा अनुसूचीगत संपत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी– कल्पेश ओझा (मोबाइल 9769825323), ई–मेल : kalpesh.ozha@omkaraarc.com से अथवा उपरोक्त वर्णित पते पर कार्यदिवसों के दौरान कार्यालय समयावधि में संपर्क कर सकते हैं।
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php में दिए गए लिंक को देखें।

सांविधिक हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) व 9(1) एवं 6(2) के अंतर्गत विक्रय की सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) एवं 6(2) तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) /सह–उधारकर्ता(ओं) हेतु, लागत एवं व्ययों के साथ यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करके उनके द्वारा यदि वे इच्छुक हैं परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने की सलाह के साथ उपरोक्त संदर्भित तिथि एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में उन्हें सूचित करते हुये पंद्रह दिनों (15) दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (5) के अंतर्गत निर्धारितानुसार किसी भी माध्यम से बेचा जाना है।

दिनांक : 23 जनवरी, 2024
स्थान : मुंबई

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस26/2021–22 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत)

लूट के मामले में तीन बदमाश गिरफ्तार

बरेली, 22 जनवरी (जनसत्ता)।

थाना किला क्षेत्र में मूंगफली के एक ठेले पर खड़े युवक को बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उसका मोबाइल लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लूट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

थाना किला की पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश नामक एक फैक्ट्री कर्मचारी मूंगफली के ठेले पर खड़ा था। इसी दौरान वहां से गुजरे तीन बदमाशों ने उमेश के कंधे पर जोर से हाथ मारकर उसे गिरा दिया। इसके बाद तमंचा दिखाकर उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर घटना के आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया। इनमें स्वालेनगर का रहने वाला दानिश, चांद मिया और सुहेल शामिल हैं। आरोपियों से लूट के मोबाइल के अलावा घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा बरामद करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया है।